रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (DL)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 296] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 23, 1986/श्रावण 1, 1908
No. 296] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 23, 1986/SRAVANA 1, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

IndiaCode

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1986

का.आ. 435(अ).—केन्द्रीय सरकार, राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) की धारा 6 की उपधारा (5) के खंड (ख) के उपखंड (ii) और धारा 7 की उपधारा (6) के खंड (ख) के उपखंड (iii) के अनुसरण में, भारत सरकार के विदेश कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 429(अ) तारीख 18-7-1986 के अधीन घोषित अभिहीत क्षेत्रों के भीतर किसी पोत के, सिवाय भारतीय नौसैनिक पोतों और तट रक्षक पोतों या ऐसे अन्य पोतों जिन्हें भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव या उसके द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किया जाता है, प्रवेश का प्रतिषेध करती है।

2. पैरा 1 में अन्तर्विष्ट प्रतिषेध निम्नलिखित पोतों को लागू नहीं होगा, अर्थात् :—

(क) उक्त अभिहित क्षेत्र में या उसके निकट किसी उप समुद्री केबिल या पाइपलाइन की मरम्मत में लगे हुए या लगाए जाने के लिए आशय पोत;

(ख) उक्त अभिहित क्षेत्रों में किसी प्रतिष्ठापन

(i) की सेवा के लिए,

(ii) के किसी सरकारी विभाग के प्राधिकार के अधीन निरीक्षण के लिए, या

(iii) तक या से व्यक्तियों या माल के परिवहन में लगा हुआ पोत ;

(ग) परिवहन मंत्रालय के प्राधिकार के अधीन नौवहन की सुरक्षा से संबंधित कर्तव्यों में लगा हुआ पोत,

(घ) समुद्र में जीवन या सम्पत्ति को बचाने या बचाने का प्रयास करने की दृष्टि से कार्य कर रहा पोत।

[संख्या एफ.एल.-III/3/86]

पी. श्रीनिवासराव, निदेशक

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 1986

S.O. 435 (E).—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (5) of section 6 and sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section (6) of section 7 of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976), the Central Government hereby prohibits the entry of any ship within the designated areas as declared under the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs No. S. O. 429 (E) dated the 18-7-1986, except Indian Naval ships and Coast Guard ships or other ships which are authorised in writing by the Secretary to the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas or any competent authority notified by him in this regard.

2. The prohibition contained in paragraph 1 shall not apply to a ship—

(a) engaged or about to be engaged in the repair of any submarine cable or pipeline in or adjacent to the said designated areas ;

(b) engaged in—

(i) services for,

(ii) inspection under the authority of a Government Department of, or

(iii) the transportation of persons or goods to or from,

an installation in the said designated areas ;

(c) engaged in duties relating to the safety of navigation under the authority of the Ministry of Transport ;

(d) carrying out movements with a view to saving or attempting to save life or property at sea.

[No. F. L-III/3/86]
P. SREENIVASA RAO, Director

IndiaCode

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986